

कार्यालय उप महाप्रबंधक (मा0सं0)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर.

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

Email - dgmhr.csptclraipur@cseb.gov.in Telefax no. 0771-2574299, Tele.no 0771-2574297/98

क्र. 02-14/स.प्र./1761

रायपुर, दिनांक 16 SEP 2013

आदेश


प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित ग्रेजुएट अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण के लिये रु. 3560/- (रुपये तीन हजार पांच सौ साठ) प्रति माह की दर से निश्चित वृत्तिका पर एक वर्ष की अवधि के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तों के अधीन उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति की तिथि से पदस्थ किया जाता है:-

क्र	प्रशिक्षु का नाम	पिता का नाम	पदस्थापना स्थल
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)			
1.	भगवान दास	बच्चन प्रसाद	कार्यपालन अभियंता, उपकेन्द्र संभाग-दो, रायपुर
2.	मीनाक्षी कथने	भारत कथने	कार्यपालन अभियंता, उपकेन्द्र संभाग-एक, रायपुर
3.	किशन गुप्ता	रामलोचन गुप्ता	कार्यपालन अभियंता, उपकेन्द्र संभाग, बिलासपुर
4.	घनश्याम वर्मा	आर.के. वर्मा	कार्यपालन अभियंता(मी.री.परि.), संभाग, भिलाई
5.	हरिश कुमार साहू	तुलुराम साहू	कार्यपालन अभियंता, उपकेन्द्र संभाग, राजनांदगांव
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (इन्फोरमेशन टेक्नॉलाजी)			
1.	अनिमेष दुबे	अजय दुबे	मुख्य अभियंता(भार प्रेषण), रायपुर
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (सिविल)			
1.	विन्ती कुलकर्णी	विजय डी. कुलकर्णी	मुख्य अभियंता(सिविल) मुख्या.संभाग, रायपुर

प्रशिक्षण नियुक्ति की सामान्य नियम एवं शर्तें:-

1. प्रशिक्षण अवधि में आवास, आवागमन का व्यय अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को केवल कार्यालयीन समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
3. प्रशिक्षुओं को स्वयं के लिये चिकित्सा सुविधा जहां कंपनी के चिकित्सालय उपलब्ध है, मात्र वही दी जावेगी तथा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
4. प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रशिक्षु का मण्डल में नियुक्ति का कोई दावा नहीं रहेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कंपनी के नियमानुसार 13 दिन आकस्मिक अवकाश एवं दस दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
6. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु का कार्य/व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण/नियुक्ति कभी भी समाप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान संयंत्र में कोई घटना/ दुर्घटना की स्थिति में प्रशिक्षु को कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
7. एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरांत प्रशिक्षु को शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसकी मान्यता एक वर्ष के कार्य अनुभव के बराबर होती है।
8. प्रशिक्षुओं को आदेश जारी होने की तिथि से दस दिनों भीतर पदस्थ किये गये कार्यालय में अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु पंजीयन कार्ड(Apprenticeship Contract Registration Card)(संलग्न) में तीन प्रतियों में तथा बैंक संबंधी जानकारी (संलग्न प्रपत्र में) दो प्रतियों में पूर्ण कर पदस्थ कार्यालय में उपस्थिति के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेशानुसार




उप महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.पारेषण कं.मर्या.रायपुर.

प्रतिलिपि:-


1. सहायक निदेशक, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल(पश्चिमी क्षेत्र), एटीआई कैम्पस, सायन ट्राम्बे रोड मुंबई-400022
2. मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (.....), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (.....), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0,.....।
4. कार्यपालन अभियंता, (.....), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0,.....।
5. सहायक अभियंता, (.....), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0,.....।
6. स्टाफ आफिसर संबद्ध अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक(पारे0), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर।
7. प्रबंधक (क्षे0ले0अ0-मुख्यालय), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0. रायपुर।
8. लेखाधिकारी (क्षे0ले0अ0) छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0. रायपुर/बिलासपुर।
9. श्री/श्रीमति/कु0 पता

टिप्पणी:- (सरल ढ0 3 एवं 4 के लिए)

1. प्रशिक्षु द्वारा जमा किया गया पंजीयन कार्ड(Apprenticeship Contract Registration Card) दो प्रतियों में एवं बैंक विवरणी एक प्रति में सीधे इस कार्यालय को 7 दिनों में प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. प्रशिक्षु की मासिक उपस्थिति पत्रक में Email द्वारा अथवा फैंक्स द्वारा माह की 3 तारीख तक भेजने का कष्ट करें, ताकि प्रशिक्षु के शिक्षुवृति(stipend) का भुगतान इस कार्यालय द्वारा सीधे प्रशिक्षुओं को बैंक खाते में किया जा सके।


16-9-13
प्रबंधक (मा0सं0)

कार्या.उप महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.पारे0कं.मर्या.रायपुर.


(020014) स.प्र. 1762
रायपुर, दिनांक 16 SEP 2013